Foreign nationals residing in Mizoram

1674. SHRI MATANG SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that more than 20,000 foreign nationals have been residing in Mizoram;

(b) if so, the details thereof, and to which country do these people belong and since when are they staying there; and

(c) the steps taken by Government to repatriate them to their country during the last two years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) to (c) The Government of Mizoram has informed of the presence of some foreign nationalas in the State. The process of identification of such foreign nationals, who are reported to have entered Mizoram illegally from Bangladesh and Myanmar, has been initiated by the State Government.

Riot prone areas in the country

1675. SHRI RAHASBIHARI BARIK: WiU the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have identified the riot prone areas in the country; and

(b) if so, the steps taken to prevent any kind of untoward incident?

THE MINSITER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) and (b) Under the Constitution "Public Order" and "Police" are state subjects. The primary responsibility for maintenance of law and order, thereofre, directly devolves on the state Governments. It is for the concerned State Governments to devise methods and take appropriate measures to maintain peace in the State. As and when necessary, suitable assistance is provided to the State Government by the Central Government.

सिंचाई क्षमता का सृजन और उसका उपयोग

1676. **श्री राघवजी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंचाई क्षमता के सृजन और उसके उपयोग में काफी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस अंतर को समाप्त करने हेतु कोई वृहद योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जी, हां। सिंचाई क्षमता के सृजन और उपयोग के बीच अंतर होता है।

(ख) 1993-94 के अंत तक सिंचाई क्षमता के सृजन और इसके उपयोग के बीच अंतराल के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाते हुए विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ग) से (ङ) इस अंतराल को कम करने के लिए 1974-75 से केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया गया है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 60 परियोजनाओं से शुरूआत करते हुए, इस समय 22 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 21.35 मिलियन हेक्टेयर के कृष्य कमान क्षेत्र सहित 189 सिंचाई परियोजनाओं को कवर करता है। इस कार्यक्रम के लिए आठवीं योजना (1992-97) में 2510.13 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। किए गए उपचारी उपायों में अन्य उपायों के साथ पुरानी योजनाओं की वास्तविक क्षमता का पुनर्मूल्यांकन करना, वार्षिक निष्पादन पुनरीक्षा करना और बेहतर जल प्रबंध प्रयासों पर जोर देना भी शामिल है।

विवरण

1993-94 के अंत में बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई योजनाओं के जरिये सृजित सिंचाई क्षमता तथा इसके उपयोग में अंतर

('000 हेक्टेयर)

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सृजित सिंचाई क्षमता	प्रयक्त सिंचाई क्षमता	सृजित सिंचाई क्षमता तथा प्रयुक्त सिंचाई क्षमता में अन्तर
1.	आन्ध्र प्रदेश	5932.17	5548.80	383.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	71.23	62.18	9.05
3.	असम	789.15	602.71	186.44
4.	बिहार	8086.90	7045.24	1046.66
5.	गोवा	32.32	29.17	3.15
6.	गुजरात	3232.85	2952.27	280.58
7.	हरियाणा	3616.57	3326.42	290.58
8.	हिमाचल प्रदेश	154.00	129.47	24.53
9.	जम्मू एवं कश्मीर	540.36	501.14	39.22
10.	कर्नाटक	2969.59	2703.57	266.02
11.	केरल	996.88	911.62	85.26
12.	मध्य प्रदेश	4718.79	3888.50	830.29
13.	महाराष्ट्र	4657.29	3355.10	1302.19
14.	मणिपुर	118.00	99.76	18.24
15.	मेघालय	48.00	42.06	5.94
16.	मिजोरम	11.55	9.84	1.71
17.	नागालैण्ड	66.60	56.85	9.75
18.	उड़ीसा	2748.49	2513.49	235.00
19.	पंजाब	5768.90	5654.58	114.32
20.	राजस्थान	4556.80	4284.37	272.43
21.	सिक्किम	23.56	18.24	5.32
22.	तमिलनाडु	3687.56	3688.31	(-) 0.75
23.	त्रिपुरा	96.88	89.05	7.83
24.	उत्तर प्रदेश	27547.00	24842.00	2705.00
25.	पश्चिम बंगाल	4313.45	3724.55	588.90
	कुल राज्य	84784.89	76079.29	8705.60
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	99.65	87.20	12.45
	कुल जोड़	84884.54	76166.49	8718.05